कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा की बैठक दिनांक 29.04.2025 में **वाहन सं0–BR29P-9935, BR29PA-0160 एवं BR28G-2089 (बस)** का बीमा फर्जी होने एवं फर्जी बीमा के आधार पर बस का परिचालन करने का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर प्राधिकार द्वारा प्रश्नगत बसों पर धारित बीमा की जॉच संबंधित बीमा एजेंसी/कम्पनी से कराकर बीमा फर्जी पाए जाने की स्थिति में उक्त बसों के वाहन स्वामी/प्रतिनिधि पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्णय लिया गया था। **उक्त बसों की विवरणी निम्नवत है:–**

क्र0सं0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन स्वामी का नाम व पत्ता	अभियुक्ति
1.	BR29P-9935	बस	श्री धीरज कुमार राय, पिता–श्री मंकेशव राय, ग्राम+पो0–डूमरहर खुर्द, जिला–सिवान।	
2.	BR29PA-0160	बस	श्री बब्लू राय, पिता–श्री दीनानाथ राय, ग्राम–पांडेयपुर, पो0–डूमरहर, थाना–गुठनी, जिला–सिवान।	
3.	BR28G-2089	बस	श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–श्री ललन सिंह, ग्राम+पो0–सोनवलिया, जिला–गोपालगंज।	

2. प्राधिकार की बैठक तिथि दिनांक 29.04.2025 को सुनवाई के क्रम में वाहन सं0– **BR29P-9935** के स्वामी **श्री धीरज कुमार राय के तरफ से उपस्थित श्री आशु कुमार राय, पिता–श्री धर्मेश्वर राय,** द्वारा अपने वाहन का तत्कालिन बीमा फर्जी होने की आरोप को स्वीकार करते हुए दिनांक 26.04.2025 को नये बीमा करा लेने की बात कही गयी, जो विभागीय पोर्टल से प्राप्त विवरणी से भी स्पष्ट हुआ कि दिनांक 26.04.2025 को उक्त वाहन का सही बीमा कराया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन सं0– BR29P-9935 को फर्जी बीमा के आधार पर परिचालन किया जा रहा था, जो कि मामला प्रकाश में आने के बाद दिनांक 26.04.2025 को सही बीमा कराया गया।

3. **वाहन सं0– BR29P-9935 एवं BR29PA-0160 पर तत्समय प्रदर्शित बीमा की जाँच संबंधित बीमा कम्पनी यथा**– HDFC ERGO General Insurance Company Ltd. Patna एवं Bajaj Allianz General Insurance Company Anandpuri, Patna से करायी गई। जाँचोपरांत उक्त दोनों बसों पर तत्समय का प्रदर्शित बीमा दोपहिया वाहन के रूप में बीमीत पाया गया।

4. **इस प्रकार प्रश्नगत तीनों बसों यथा–वाहन सं0–BR29P-9935, BR29PA-0160 एवं BR28G-2089 का बीमा फर्जी पाया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त तीनों बसों के** वाहन स्वामी/प्रतिनिधि पर दिनांक 21.05.20025 को नगर थाना, छपरा, सारण में भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करा दी गई है।

5. प्राप्त आसूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र बनवाकर वाहन का परिचालन किया जा रहा है। फर्जी बीमा के आधार पर वाहन/बस का परिचालन करना राजस्व चोरी के साथ–साथ यात्रीगणों की जीवन के साथ खेलवाड़ करना है। फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना, आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा, आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। फर्जी बीमा करना या कराना या फर्जी बीमा पर वाहन/बस का परिचालन करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य है। साथ ही **MV Act,1988, CMV Rule,1989** एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन भी है।

अतएव एतद् द्वारा जनहित में सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि यदि वे अपने वाहन का परिचालन फर्जी बीमा के आधार पर कर रहे हैं तो अचूक रूप से एक सप्ताह के अंदर सही बीमा करा लें, अन्यथा जाँच के क्रम में किसी वाहन का बीमा फर्जी पाया जायेगा तो वाहन का परमिट रद्द करने के साथ–साथ संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

(आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा के आदेश से)

(अनिल कुमार राय)
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

PR- 004425 (District) 2025-26

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।